न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–26 / 2019
आरसीएमएस– 2019 / 00082
तारीख निर्णय– 12 / 03 / 2020

प्रार्थी :–

1. फरसाराम पुत्र घीसाजी
2. जगली पत्नी फरसारामजी
   जातिगण–जणवा चौधरी निवासीगण–घाणेराव तहसील–देसूरी, जिला–पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

1. गेनाराम पुत्र घीसारामजी
2. देवाराम पुत्र घीसारामजी
   जातिगण–जणवा चौधरी निवासीगण–घाणेराव तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट :–

उपस्थिति–

1 प्रार्थी की ओर से– वकील श्री मुकेश कुमार श्रीमाली।
2 अप्रार्थी सख्या 3 की ओर से– सरकारी पैरोकार।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णयः– दिनांक– 12 / 03 / 2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–251 ए राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम घाणेराव पटवार हल्का घाणेराव तहसील–देसूरी जिला–पाली में खसरा नम्बर 881, 882, 883, 924, 926, 894 / 3922 कुल रकबा 2.3100 हैक्टर की विद्यमान हैं। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सद्भावना पूर्वक अपने कब्जा सुदा हक हिस्सो पर आने जाने हेतु रास्ता रखा हुआ है जो खसरा नम्बर 881 से 926 में मध्य आवागमन हेतु रखा गया है।

यह है अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त खातेदारी भूमि में आने–जाने का रास्ता मौके पर होने के पश्चात भी अपने हिस्से की जमीन का कुछ भाग पास के बेरे घांची समाज वालो को बेचने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु दखलन्दाजी कर रहा है। जिसका अप्रार्थीगण को आने जाने के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नही है।

पेज लगतार 02 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि प्रार्थी अपनी सयुक्त आराजीयात कृषि भूमि पर जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की सयुक्त आराजीयात कृषि भूमि जो ग्राम घाणेराव की सरहद में स्थित है व पूर्व में सहखातेदार भी थे व खसरा सख्या 881 से 926 के बीच संयुक्त खातेदारी भूमि में आने जाने का रास्ता काफी वर्षो से चला आ रहा है। जिसमे प्रार्थी एव अप्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। इसके अलावा आने का प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि में खसरा नम्बर 882 व 883 में आने का कोई रास्ता नही है जिसे राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने व उपयोग उपभोग हेतु नियमानुसार मुआवजा (शुल्क) निर्धारित कर 15 फीट चौडा रास्ता आगे स्थित मुख्य रास्ते से जुडने तक प्रदस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावे व उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से इकबालीया जबाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 881, 882, 883, 924, 926, 894/3922 सयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी मौके पर खसरा नम्बर 881 व 926 के मध्य रास्ता की माग की है जो पडत पड हुई है मौके उक्त खसरो में प्रार्थी का अलग हिस्सा नही होने से किस रास्ते से किस भूमि में जाना है जो मौके पर नही है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य धारा 53 के तहत बडवाडा करवाने से ही रास्ते की समस्या का समाधान हो सकता है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 881, 882, 883, 924, 926, 894/3922 मे स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर आपसी बंटवाडा नही हो रखा है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 881 से 926 के मध्य से रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 व 2 की सयुक्त भूमि है। जिससे प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसके बंट में आता है तथा निर्धारित मुआवजा राशि किस खातेदार को अदा की जावे यह स्पष्ट नही होता है।खातेदारो के मध्य बट का मौके पर बंटवाडा नही होने से रास्ता देना सम्भव नही है। जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी बंटवाडा होने पर देय हो सकता है।

पेज लगातार 03 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः न्यायालय की राय मे प्रार्थीगण धारा– 251–क के तहत कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं प्रार्थीगण का यह आवेदन सारहिन एवं विधिरहित होने से निरस्त योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क राज0 काश्त0 अधिनियम अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना– अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 12/03/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)